फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

रामसिंह बनाम लक्ष्मण सिंह वगै0

मा संख्या : 335/2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
24.11.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य प्रतिवादी पेश नही कर सीधी बहस करने का निवेदन किया। अतः साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किया जाता है। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 26.11.2025 को पेश हों।	
26.11.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। वकील वादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि पक्षकार ग्राम सरजोली के रहवासी है। ग्राम सरजोली में प्रतिवादी की कृषि भूमि स्थित है। किन्तु वादी वर्तमान में जयपुर मे रहवास करता है। वादी के आधिपत्य व स्वामित्व की आराजी खसरा नं0 429/410 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा किस्म चाही चतुर्थ वाकै ग्राम सरजोली में स्थित है। वादी उक्त वर्णित खसरा नम्बर भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा नियमित रूप से उक्त भूमि में कृषि फसले कर रहा है। उक्त भूमि से प्रतिवादी सं0 1 का कोई संबंध व सरोकार नही है। प्रतिवादी सं0 1 बिना किसी हक व अधिकार के वादी की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 429/410 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा किस्म चाही चतुर्थ वाकै ग्राम सरजोली की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है तथा वादी को अपने उक्त वर्णित खसरा नम्बर की भूमि मे आने जाने में प्रतिवादी सं0 1 बलपूर्वक बाधा पैदा करता है तथा वादी को ट्रेक्टर व अन्य कृषि उपकरण ले जाने से मना करता है जबकि उसे ऐसा करने का हक व अधिकार प्राप्त नही है। अतः प्रतिवादी सं0 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह खसरा नम्बर 429/410 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा किस्म चाही चतुर्थ वाकै ग्राम सरजोली के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से बाधा कारिज नही करे और न ही फसल बोने में, ट्रेक्टर व अन्य कृषि उपकरण ले जाने में आवागमन मे कोई बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे और न ही रास्ते व आवागमन में कोई बाधा कारित करे, न ही ऐसा वादी की तारबन्दी को जबरन तोडे और न ही वादी की उक्त वर्णित आराजी पर जबरन कब्जा करें। वकील प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 दोनो ही ग्राम सरजोली के निवासी है। वादांकित भूमि खसरा नम्बर 429/410 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा ग्राम सरजोली में स्थित है। उकत भूमि के लगवा प्रतिवादी स0 1 की भूमि खसरा नम्बर 425/410 स्थित है। प्रतिवादी सं0 1 ने उकत वादांकित भूमि खसरा नम्बर 429/410 से प्रतिवादी सं0 1 का कोई हक संबंध नही है और ना ही प्रतिवादी सं0 1 उक्त भूमि पर अपना अधिपत्य बताता है और ना ही जबरन कब्जा करना चाहता है तथा वादी के आने जाने में किसी प्रकार की व्यवधान प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा नही डाला गया है और ना ही वादी के ट्रेक्टर व अन्य कृषि उपकरण ले जाने से कभी मना किया है वादी ने जो कथन पेश किये है वह मिथ्या व झूठे पेश किये है जिस पर आधार पर वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है। उक्त तकासमा शुदा भूमियों के आगे शामलाती रास्ता स्थित है तथा गै0 मु0 कुआ स्थित है जो सभी का शामलाती मे रहेगा। किसी भी खातेदार द्वारा कोई दखल अन्दाजी नही करेगा तथा नेवर से चावण्डिया रोड से जो रास्ता प्रार्थी की भूमि के पास से गुजरता है उसमें प्रार्थी द्वारा ही दखल अन्दाजी की जा रही है और प्रतिवादीगणों को आने जाने में दखल उत्पन्न करता रहता है। अतः प्रतिवादी सं0 1 का जवाब	

Scanned with OKEN Scanner

स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस का मनन किया गया। अत पत्रावली का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर पाया कि ग्राम सरजोली में स्थित वादांकित भूमि खसरा नम्बर 429/410 तकासमा शुद्ध भूमि है। जिसमें आने जाने हेतु अलग से रिकार्डेड रास्ता है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखि दफतर हो।

सपर ...कारी
...मनवास ... जिला जयपुर